अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश ।–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
25/10/2013	**न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा** **भूमि विवाद अपील वाद संख्या 268 / 2012** मैसो0 कारी एवं अन्य — अपीलार्थीगण वनाम राज्य एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स –:आदेश:– प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के आदेश दिनांक: 05.07.2012 ई० अंदर भूमि विवाद संख्या– 198 / 11 से विक्षुब्ध होकर खिलाफ मॉ रेस्पोण्डेन्ट्स के दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर संधारित उभय पक्षों के सभी कागजात का सुक्ष्म अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील वाद में विवादी भूमि अन्दर मौजा– बनगॉव, खाता– 1415, खेसरा–3030, रकबा 0.62 डीसमल वो 30 डीसमल कुल 92 डीसमल प्रश्नगत भूमि है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने दावे के समर्थन में कथन करते हैं कि रौदी चमार को दो लड़की रतनी देवी व सावित्री एवं एक पुत्र बद्री राम थे वो रतनी देवी का विवाह लखन राम से हुआ वो रतनी देवी अपने पति के साथ अपने ससुराल ग्राम – बिहरा में रहने लगी वो सावित्री देवी बाद विवाह के अपने ससुराल लालगंज में रहने लगी वो रौदी चमार के मृत्यु के बाद उनके पुत्र बद्री राम उक्त एराजी पर दखलकार हुए वो बद्री राम के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मोसो0 कारी देवी अपने पुत्री सोनिया के साथ उक्त एराजी पर शान्ति पूर्ण ढंग से हकदार एवं दखलकार चले आ रहे हैं जबकि रेस्पोण्डेन्ट नं0–2 रतनी देवी द्वारा अपीलार्थी की जमीन हड़पने के नियत से निम्नन्यायालय में झूठा मुकदमा किए थे जिसमें गलत आदेश श्रीमान् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा अपने पक्ष में करवा लिये जिससे प्रभावित एवं विक्षुब्ध होकर उक्त अपील वाद अपीलकर्त्ता को दायर करना जरूरी हुआ। अपीलार्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में सबुत कागजात	

दाखिल किए हैं जो निम्नप्रकार हैः-

1. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा दाखिल खारिज वाद संख्या 28/11-12 मोसोमात कारी देवी बनाम रतनी देवी में पारित आदेश । दिनांक 28.02.13 की नकल बजाप्ता - 3 फर्द में।

2. पूर्व में निम्नन्यायालय में दाखिल कागजात की सूची का फोटो कापी एवं कागजात की फोटो प्रति - 9 फर्द में दाखिल किया है।

राज्य एवं रेस्पोण्डेन्ट नं0-2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना जो अपने दावे के समर्थन में कथन करते हैं कि विवादी एराजी सरकार द्वारा उसके पिता रौदी मोची को बजरिए औपबन्धिक परवाना दिया गया था जिसका जमाबन्दी नं0-55 बासगीत है वो जमाबन्दी नं0-49 रौदी मोची के नाम दर्ज है। अपीलार्थी के उपरोक्त कथन बंक्षबृक्ष के संबंध में रेस्पोण्डेन्ट नं0-2 भी Admit करते हैं जो एक Admitted Fact है। लिहाजा बंक्षबृक्ष के उभय पक्षों में कोई विवाद नहीं है।

रेस्पोण्डेन्ट नं0-2 के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि निम्नन्यायालय में रेस्पोण्डेन्ट नं0-2 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो अभिलेख पर रक्षित है। रेस्पोण्डेन्ट नं0-2 अपने दावे के समर्थन में Chain of Paper's दाखिल किया है, जो निम्नन्यायालय के अभिलेख पर रक्षित है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजीय साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी का पक्ष मजबूत सिद्ध नहीं होता है और न तो अपने दावे के समर्थन में Relevent Paper's दाखिल किए हैं जबकि रेस्पोण्डेन्ट नं0-2 द्वारा दाखिल निम्नन्यायालय में दस्तावेजीय साक्ष्य उनके दावा को सम्पुष्ट करता है। अस्तु निम्नन्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है एवं अपीलकर्त्ता के दावे को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा